

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्ता,
बिहार।

पटना-15, दिनांक- 4/01/2018

विषय :- जमाबंदी पंजी में आवश्यक सुधार करने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-19(9)/रा०, दिनांक-03.01.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विभागीय प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा क्षतिग्रस्त जमाबंदी पृष्ठों को पुनर्गठित किये जाने के संबंध में विस्तृत विभागीय दिशा-निर्देश भेजा गया है। विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं प्रमंडलीय मुख्यालयों में राजस्व से संबंधित आयोजित समीक्षात्मक बैठकों में अंचल अधिकारियों के द्वारा यह सूचित किया गया कि जमाबंदी पंजी में संघारित सभी जमाबंदियों में जमीन से संबंधित विस्तृत ब्योरा यथा - खेसरा सं०, चौहद्दी आदि अंकित नहीं है, जिसके कारण ऑन-लाईन विधि से दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में कठिनाई संभावित है। इस संबंध में विभागीय प्रासंगिक पत्र के द्वारा जमाबंदी पंजी में क्षतिग्रस्त जमाबंदी पृष्ठों को पुनर्गठित करने एवं अपूर्ण जमाबंदियों में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभाग के स्तर से भेजा गया है। इस संबंध में विभाग के स्तर से दाखिल खारिज पोर्टल पर अपूर्ण जमाबंदियों में आवश्यक सुधार हेतु प्रत्येक माह के 5 (पाचवी) तारीख से 15 (पंद्रहवी) तारीख तक की अवधि निर्धारित करते हुए उक्त आशय का प्रावधान दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर में किया गया है, जिसमें आवश्यक सुधार अंचल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से किया जाना संभव हो सकेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त आशय से अपने जिला के अपर समाहर्ता, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 17/दाखिल-खारिज (कार्यशाला)- 240/17
20 /रा०, पटना-15 दिनांक- 4/01/2018

प्रतिलिपि-सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :- 17/दाखिल खारिज (कार्यशाला)- 240/17
20 /रा०, पटना-15 दिनांक- 4/01/2018

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।